

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2015/1/48843/2016

दिनांक:
12-04-2016

उप शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं विवाह पंजीयन अधिनियम, 1958 के निरसन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अतिरिक्त मुख्य सचिव का यू.ओ.नोट क्रमांक एफ29(20)एआरडी/गुप-1/2014
दिनांक 21.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित यू.ओ.नोट के क्रम में लेख है कि राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2015 'The Rajasthan Laws Repeal Act, 2015' के द्वारा विभाग के राजस्थान जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1958 को निरसित (Repeal) किया गया है, तत्समय राजस्थान जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियम विद्यमान नहीं थे। अतः नियम के निरसित (Repeal) कराये जाने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

12/4